श्री दीपक प्रताप द्विवेदी एड
द्वारा पेश/ 2-5-15

निगरानी 2145-II-15

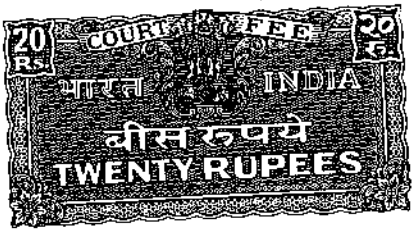

COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

66

119
2-5-15

1— सत्यनारायण अग्रवाल तनय मामनचन्द्र अग्रवाल, निवासी विजय फिलिंग स्टेशन करौंदिया रोड़ सीधी (म0प्र0)

2— भगवानदास तनय मामनचन्द्र अग्रवाल, निवासी सिगरौली सप्लाई एजेन्सी मेन रोड़ मोरवा, जिला सीधी (म0प्र0)

3— रामनिवास तनय मामनचन्द्र अग्रवाल, निवासी जय स्तम्भ चौक रीवा, तहसील हुजूर, जिला रीवा (म0प्र0)

4— श्रीमती सरोज पत्नी भूपेश कुमार अग्रवाल, निवासी सिंगरौली सर्विस स्टेशन मेन रोड़ मोरवा, जिला सीधी (म0प्र0)

——————आवेदकगण

बनाम

5436 म0प्र0 शासन

——————अनावेदक

क्रमांक.................

राजस्व ...... ग्वालियर

पुंनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता सन् 1959 ई0 विरूद्ध आदेश कलेक्टर सतना दिनांक 01/08/2008 जो प्रकरण कमांक—163अ—74/06—07 में एस0डी0ओ0 के प्रतिवेदन प्रकरण क0—60—अ—74/06—07 म0प्र0 राज्य विरूद्ध सरबत प्रसाद वगैरह में पारित

मान्यवर,

पुनरीक्षण से सम्बन्धित तथ्य :—

अ— भूमि नं0—257 काफी बड़ा रकवा था जो कि उक्त भूमि के आंशिक भाग 257/1(क) रकवा 0.50 ए0 सरबत प्रसाद व यदुनाथ प्रसाद

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निग0 2145–दो/15 जिला –सतना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28.6.16	आवेदकगण के अधिवक्ता श्री शिवप्रसाद द्विवेदी उपस्थित होकर कलेक्टर जिला सतना का प्रकरण कमांक 16/अ–74/06–07 में पारित आदेश दिनांक 1.8.08 के विरूद्व इस न्यायालय में म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत निगरानी प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण में संक्षेप इस प्रकार है कि अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर के प्रतिवेदन अनुसार मौजा कोलगवां तहसीलद रघुराजनगर स्थित आ0 न0 257/1 ब रकवा 0.20 एकड वर्ष 91–92 तक म0प्र0 शासन नजूल दर्ज थी। वर्ष 91–92 में तहसीलदार रघुराजनगर के आदेश से आ0 न0 257/1 ब/1 रकवा 0.11 एकड म0प्र0 शासन नजूल एवं आ0 न0 257/1ब/2 रकवा 0.09 एकड़ श्रीमती किरण सिंह वगैरह के नाम दर्ज कर दी गयी। वर्ष 1977–78 के राजस्व रिकार्ड में तहसीलदार रघुराजनगर के प्रकरण कमांक 6/अ19/78–79 आदेश दिनांक 13.8.79 का हवाला दर्ज कर आ0 न0 257/1ब रकवा 0.50 एकड़ पर गैर निगराकार कमांक 1 का नाम दर्ज किया गया है परन्तु	

क्रमशः

गैर निगराकार कमांक 1 का नाम दर्ज किया गया है परन्तु गैर निगराकार कमांक 1 के नाम कोई प्रकरण तहसीलदार रघुराजनगर के न्यायालय के दायरा पंजी में दर्ज नहीं हुआ है। यह भी कि प्रश्नाधीन आराजी का कुल रकवा 0.20 एकड ही था परन्तु उक्त इन्द्राज में रकवा 0.50 एकड गैर निगराकार कमांक 3 (अ) को विकय किया गया। उक्त विकय के आधार पर तहसीलदार रघुीराजनगर द्वारा प्रश्नाधीन नामांतंरण आदेश दिनांक 23.4.02 एवं किये गये सीमांकन की पुष्टि का प्रश्नाधीन आदेश दिलनांक 30.9.07 पारित कियरा गया। उक्त आदेश को निरस्त करने हेतु कलेक्टर जिला सतना द्वारा प्रकरण स्वमेव निगरानी में दर्ज किया गया।

3-आवेदकगण अधिवक्ता ने अपने तर्क में कहा है कि तीनो राजस्व प्रकरणों की एक साथ स्वप्रेरणा निगरानी में कार्यवाही करने की कानूनी व्यवस्था भी नहीं है, साथ ही रजिस्टर्ड विकय पत्र द्वारा जो भूमि आवेदकगण ने अर्जित किया था उस भूमि के संदर्भ में पंजीकृत विकय पत्र की वैधता के जांच की भी व्यवस्था राजस्व न्यायालय द्वारा आपेक्षित नहीं है । अलग अलग आदेशों अथवा अलग अलग प्रकरणों के संदर्भ में एह ही आदेश के द्वारा निरस्त किये जाने की मांग की है । अंत में उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि निगरानी स्वीकार किया जाकर कलेक्टर जिला सतना का आदेश निरस्त किया जावे।

4- आवेदक के अधिवक्ता के तर्क सुने तथा उनके द्वारा निगरानी में उल्लेखित तथ्यों का अध्ययन किया गया।

प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजों का परिशीलन किया गया। 5- मेरे द्वारा प्रकरण में संलग्न कलेक्टर के आदेश का अध्ययन किया उनके द्वारा मुख्य तथ्य यह दर्शाया गया है कि अनावेदक कमांक-1 के नाम का कोई पंजीयन दायरा पंजी में अंकित नहीं है जिससे फर्जी पूरी कार्यवाही की गई है, ऐसी स्थिति में कलेक्टर सतना का आलोच्य आदेश में हस्तक्षेप की मैं आवश्यकता नहीं समझता हूँ। अतः कलेक्टर सतना का आदेश स्थिर रखा जाताहै । आवेदक की प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हों । राजस्व मण्डल का अभिलेख संचय हेतु अभिलेखागार में भेजा जावे।

सदस्य